



कार्या. दूरभाष नम्बर- 07836-232885 ईमेल- zp-koriya.cg@nic.in

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

--: आदेश :-

बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/02/2018

क्रमांक/ 6243 / शिक्षा/स्था./जि.पं./शि.(पं.)/2017-18:: छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम 2012 यथा संशोधित तथा समय-समय पर प्रकाशित नियमों के अधीन स्कूल शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध व्याख्याता (पंचायत) की भर्ती हेतु जारी किये गये विज्ञापन के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया का पालन करते हुए, सामान्य प्रशासन समिति बैठक दिनांक 04.11.2017 में पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार व्याख्याता (पंचायत) के पद पर वेतनमान रु. 5300-150-8300 पर अस्थायी रूप से निम्नानांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाकर कॉलम नम्बर 06 में अंकित संस्था में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	चयन का वर्ग	पदांकित संस्था का नाम	विषय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता	श्री हीरालाल गुप्ता	C/O श्री कुलीराम श्रीवास, वार्ड नं. 10 शा.हाईस्कूल लेदरी साउथ झगराखण्ड, जिला- कोरिया (छ.ग.)	अनारक्षित	शा.हाईस्कूल महाई-मनेन्द्रगढ़	गणित
2	श्री अमित कुमार कर्ष	श्री श्यामलाल कर्ष	ग्रा.-नरधा, पो.-बरेली, व्हा.-कटगी, तह.-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.)	अ.पि.व.	शा.उ.मा.वि. जरौधा - खड़गवां	गणित
3	श्री जीवन दास	श्री राज कुमार	ग्रा.-तिरियाभाट, पो.-देउरगांव, तह.-साजा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)	अ.जा.	शा.हाईस्कूल सिंघोर -सोनहत	गणित
4	श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत	श्री राम प्रसाद राजपूत	ग्रा.-विचारपुर, पो.-सुकली तह.-लोरमी, जिला-मुगेली (छ.ग.)	अनारक्षित	शा.उ.मा.वि. जरौधा -खड़गवां	भौतिक
5	श्री दीपक कुमार सिंह	श्री रमाकान्त सिंह	अंशु किराना स्टोर के सामने, राजेन्द्र नगर कालोनी गांधीनगर, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	अनारक्षित	शा.उ.मा.वि. कोड़ा-खड़गवां	भौतिक
6	श्री गौरव चौरसिया	श्री राज कुमार चौरसिया	श्याम नगर लिंगियाडीह अपोलो हॉस्पिटल रोड बिलसपुर (छ.ग.)	अनारक्षित	शा.उ.मा.वि. विरमी - खड़गवां	भौतिक
7	श्री धनेश्वर कुमार साहू	श्री नोहर राम साहू	ग्रा.-बिडोरा, पो.-फिंगेश्वर, तह.-राजिम, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)	अ.पि.व.	शा.उ.मा.वि. माडीसरई-भरतपुर	भौतिक
8	अंजना गुप्ता	श्री महेश प्रसाद गुप्ता	बंगालीपारा जरहागढ़ अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	अनारक्षित	शा.उ.मा.वि. रनई-बैकुण्ठपुर	रसायन
9	श्री कमलेश कुमार साहू	श्री प्यारे लाल साहू	वार्ड नं. 08 पुराना गौरैला पेण्ड्रा रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अ.पि.व.	शा.उ.मा.वि. जरौधा -खड़गवां	रसायन
10	श्री अनिल कुमार	श्री धनेश्वर सिंह	ग्रा.-समलाई, पो.-पिपरिया, तह.-पोड़ीउपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	अ.ज.जा.	शा.उ.मा.वि. कोटाडोल-भरतपुर	रसायन
11	श्री भवानी सिंह कवंर	श्री रूप सिंह कवंर	ग्रा.+पो.-बचरवार, तह.-पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अ.ज.जा.	शा.उ.मा.वि. बहरासी-भरतपुर	रसायन

8

12	श्रीमती आकांक्षा सिंह	श्री अनिमेष सिंह	महलपारा, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	अनारक्षित	शा.क.उ.मा.वि. जनकपुर-भरतपुर	जीव विज्ञान
13	श्री हरिशंकर साहू	श्री राम प्रताप साहू	क्वा.नं. 630 ब्लॉक नं. 45 पण्डवपारा जिला-कोरिया (छ.ग.)	अनारक्षित	शा.उ.मा.वि. सॉस-खड़गवां	जीव विज्ञान
14	नेहा सिंह	श्री सुखनन्दन सिंह	ग्रा.-छिन्दकालो, पो.-दरिमा अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	अ.ज.जा.	शा.उ.मा.वि. बरदर-खड़गवां	जीव विज्ञान
15	श्री आकाश शर्मा	श्री बी.एन. शर्मा	शुभम विहार, मुंगेली रोड जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अनारक्षित	शा.हाईस्कूल कटकोना-खड़गवां	अंग्रेजी
16	श्री सुधीर साहू	श्री जगनारायण प्रसाद साहू	ग्रा.+पो.-पोड़ी बचरा, ब्लॉक-खड़गवां, जिला-कोरिया (छ.ग.)	अ.पि.व.	शा.उ.मा.वि. तामडांड-खड़गवां	अंग्रेजी
17	श्री उजय कुमार	श्री मेघनाथ	ग्रा.+पो.- मदुमतरा जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	अ.पि.व.	शा.हाईस्कूल खमरौंध-भरतपुर	अंग्रेजी
18	सुशीला कुजूर	श्री जयराम कुजूर	ग्रा.-बटवाही (मुड़ापारा) पो.-रघुनाथपुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)	अ.ज.जा.	शा.हाईस्कूल कुशहा-सोनहत	अंग्रेजी
19	श्री विजय कुमार पैकरा	श्री शंकर सिंह	ग्रा.-तेन्दूभाठा पुडू व्हा.-बेलगहना, तह.-कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अ.ज.जा.	शा.हाईस्कूल बड़गांवखुर्द-भरतपुर	अंग्रेजी
20	श्री नीरज कुमार सिंह	श्री बालकिशोर सिंह	C/O श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, सुभाषनगर, पो.- चरचा कॉलरी, जि.-कोरिया (छ.ग.)	अनारक्षित	शा.उ.मा.वि. सोनहत	वाणिज्य
21	श्री लखन लाल	श्री एतवा राम	एम.क्यू. 7 वार्ड नं. 6 केन्द्रीय विद्यालय झगराखण्ड के पास, जिला-कोरिया (छ.ग.)	अ.पि.व.	शा.उ.मा.वि. रामगढ़-सोनहत	वाणिज्य
22	संदीप कुमार ध्रुव	श्री कार्तिक राम ध्रुव	त्रिवेणीनगर जबरापारा सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अ.ज.जा.	शा.उ.मा.वि. बहरासी-भरतपुर	वाणिज्य
23	श्री प्रीतम टोप्पो	श्री जेम्स टोप्पो	प्रकाशपारा बंदियाखार पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.)	अ.ज.जा.	शा.उ.मा.वि. माड़ीसरई-भरतपुर	वाणिज्य
24	श्री सुमन खाखा	श्री बोनीफस खाखा	ग्रा.+पो.-भैसमा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	अ.ज.जा.	शा.उ.मा.वि. कंजिया-भरतपुर	वाणिज्य
25	अनीता सिंह	श्री मुन्ना लाल	कलसी दफाई हीरागीर ग्राउण्ड हल्दीबाड़ी चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ.ग.)	अ.ज.जा.	शा.उ.मा.वि. उधनापुर-खड़गवां	वाणिज्य
26	श्री रविचंद्र पोर्ते	श्री मंगल सिंह पोर्ते	ग्रा.-धनौरा, पो.-परासी, तह.-मरवाही, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अ.ज.जा.	शा.उ.मा.वि. कोटाडोल-भरतपुर	वाणिज्य

नियुक्ति की शर्तें-

- उपरोक्त नियुक्ति दो वर्ष के परिवीक्षा अवधि पर रहेगी। यदि परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो अभिमान्य वर्ष तक परिवीक्षा अवधि में बने रहने के लिये अनुज्ञात किया जा सकेगा। इसके पश्चात् पुनः बढ़ायी गयी अवधि में उसके कार्य का आंकलन किया जायेगा। यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। परंतु किसी भी दशा में परिवीक्षा अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।
- आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जावेगा, कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर आपकी सेवा समाप्त कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।
- व्याख्याता (पंचायत) को परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम वेतन एवं उस पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता देय होगा।
- व्याख्याता (पंचायत) को दिनांक 19/02/2018 तक पदांकित शाला में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर संस्था प्रमुख से कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराना होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
- व्याख्याता (पंचायत) यथास्थिति जिला पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

6. ऐसे व्याख्याता (पंचायत) की सेवाएं या तो व्याख्याता (पंचायत) द्वारा, नियुक्त प्राधिकारी को या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक मास की सूचना देकर या एक मास के वेतन के भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
7. व्याख्याता (पंचायत) को कार्य करने के लिए 15 दिवस के भीतर जिला चिकित्सालय से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्तानुसार नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की सेवायें संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा संतोषप्रद सत्यापन पर ही मान्य होंगे।
9. व्याख्याता (पंचायत) की सेवा शर्तों से भिन्न जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तें समान रूप से लागू होंगे।
10. छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के तहत समस्त सेवा शर्तें समान रूप से लागू होंगे।
11. छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 5 (दो) में प्रावधान किया गया है कि " कोई भी पंचायत सेवक अपनी सेवा या किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में ना तो किसी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।
12. इस नियुक्ति के संबंध में यदि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है तो नियुक्ति पारित निर्णय के अध्याधीन होगी।
13. उपस्थिति प्रतिवेदन समस्त प्रमाण पत्रों के साथ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सत्यापन पश्चात् पदस्थ विद्यालय में उपस्थिति दें।
14. चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व यह प्रमाण पत्र अनिवार्यतः विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय में प्रस्तुत करें कि "इसके पूर्व उनकी नियुक्ति किसी भी जिला/जनपद पंचायत में नहीं हुई है तथा मैं आज दिनांक को उपरोक्त पद पर कहीं और कार्यरत नहीं हूँ। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।"

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

पृ.क्र./6244 / शिक्षा/स्था./जि.पं./शि.(पं.)/2017-18
प्रतिलिपि-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया
बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/02/2018

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
5. अध्यक्ष, जिला पंचायत कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
8. उप संचालक (पंचायत) जिला पंचायत कोरिया की ओर सूचनार्थ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
10. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कोरिया बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
11. जिला जनसम्पर्क अधिकारी कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला सूचना एवं विज्ञान प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सूची में IT Act. 2000, आधार एक्ट 2016 के नियमों का पालन किया जा रहा है।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.....जिला-कोरिया की ओर सूचनार्थ।
14. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी.....को सूचनार्थ एवं कृपया समस्त प्रमाण पत्रों की पुनः जांच उपरांत संतुष्ट होने पर ही कार्यभार ग्रहण करावें एवं संबंधित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें, अभ्यर्थियों के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण पश्चात् उपस्थिति पत्रक दिनांक 21/02/2018 तक इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
15. प्राचार्य..... जिला कोरिया को अग्रेषित कर लेख है कि विद्यालय में संबंधित विषय के छात्र अध्ययनरत न होने पर प्रतिवेदन एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना दिनांक 20/02/2018 तक अनिवार्य रूप से कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. श्री/श्रीमती/कु0..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ आप संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपने प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत ही विद्यालय में उपस्थिति दें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया